

क्रमांक:जविप्रा/उपा. जोन-8/2023/डी-3003

दिनांक:- 4/9/2023

सार्वजनिक नोटिस

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की ट्रक टर्मिनल (वेस्ट वे हाईट्स) योजना द्वितीय फेज हेतु अवाप्ताधीन राजस्व ग्राम केशोपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में खाता संख्या 210 (नया) 201 (पुराना) में खसरा नम्बर 894 रकबा 1.50 हैक्टेयर की एवज में 25 प्रतिशत (20 प्रतिशत आवासीय क्षेत्रफल 3000 वर्गमी० एवं 5 प्रतिशत व्यावसायिक क्षेत्रफल 750 वर्गमी०) विकसित भूमि के भूखण्ड आवंटन किये जाने हेतु खातेदार हनुमान सहाय शर्मा, रामनारायण शर्मा, बाबूलाल शर्मा एवं तीजा देवी द्वारा राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिपत्र के तहत जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्थगन/वाद विवाद/स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया जोन-8 कार्यालय में 07 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात् आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।

सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
2. रक्षित पत्रावली

उपायुक्त जोन-8
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in


क्रमांक:- जविप्रा/उपा./जोन-11/2023/डी-2485

दिनांक 04/9/23

सार्वजनिक नोटिस

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 60 मीटर चौड़ी सडक सैक्टर रोड में आ रही भूमि राजस्व ग्राम रेनवाल तहसील माधोराजपुरा के खसरा नम्बर 1045, 1046/1, 1047, 1048, 1050, 1053, 1166, 1167, 1214/1, 1411 कुल किता 10 कुल रकबा 4.1223 हैक्ट में से रकबा 36493.61 वर्गमीटर के खातेदार श्री गोपाल, जयनारायण, दिनेश चौधरी, भूरी देवी, भंवरलाल, रंगलाल, रामकंवार, सीताराम चौधरी, प्रभाती जाति जाट एवं श्रीमती गीता देवी जगदीश जाति स्वामी निवासी ग्राम रेनवाल मांजी, तहसील माधोराजपुरा, जयपुर श्रीमती बदाम देवी एवं विमला देवी निवासी माधोराजपुरा, जिला जयपुर द्वारा जयपुर प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्थगन/वाद विवाद/स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया उपायुक्त जोन-11 के कार्यालय में 07 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात् आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।


सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

रामकिशोर व्यास, भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (सम्बंधित कार्यालय); फ़ैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:-ज.वि.प्रा./उपा./जोन-13/2023/डी-2320

दिनांक: 4/9/23

लोक सूचना

राकेश सिंह पुत्र श्री बीरबल सिंह, हिस्सा पूर्ण, जाति-जाट सा. मालासर वाया बढागाँव, तहसील व जिला-झुंझुनू ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का **संस्थानिक (अस्पताल/क्लिनिक/डिस्पेंसरी) प्रयोजन** के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खातेदार का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल (हेक्टै.)
तहसील-चौमू जिला-जयपुर	ग्राम-जैतपुरा	राकेश सिंह पुत्र श्री बीरबल सिंह	2846 / 2819	0.0534 हेक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 4/9/23 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्रतिलिपि:-सहायक निदेशक (जनसम्पर्क) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त लोक सूचना का दो राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन आपके स्तर से करवाया जाना है। अतः आप उक्त लोक सूचना के प्रकाशन रोस्टर अनुसार 08 (आठ) फोंट साईज में दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर, समाचार पत्रों की दो-दो मूल प्रतियाँ इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

क्रमांक:जविप्रा/उपा. जोन-8/2023/डी-3004

दिनांक:- 4/9/2023

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्र	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री भौरी लाल	श्री गगन सिंह पुत्र श्री काशीराम	एफ-1118	---	जविप्रा योजना	गोविन्दपुरा	नाम हस्तान्तरण एवं पट्टा जारी करने हेतु	अपंजीकृत इकरारनामा दिनांक 05.02.2015 के आधार पर

Sd/
उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि :- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावे। कृपया प्रकाशन से पूर्व PROOF की जांच कर लें।

W
उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102869/ *51-3622*

DATED- *4/9/23*

लोक सूचना

खातेदार आवेदक श्री अनिल कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामजीलाल गुप्ता निवासी ए-28 अनिता कॉलोनी बजाज नगर जयपुर एवं श्री अशोक कुमार जैन पुत्र श्री नाथू लाल जैन निवासी ई-776, द्वितीय नकुल पथ लालकोठी योजना, जयपुर द्वारा इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का आवासीय उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

जिले सहित ग्राम तहसील का नाम	खातेदार का नाम एवं पता	खसरा संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर
ग्राम-बुद्धसिंहपुरा तहसील-सांगानेर जिला-जयपुर	श्री अनिल कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामजीलाल गुप्ता निवासी ए-28 अनिता कॉलोनी बजाज नगर जयपुर, हिस्सा 1/2 श्री अशोक कुमार जैन पुत्र श्री नाथू लाल जैन निवासी ई-776 द्वितीय नकुल पथ लालकोठी योजना, जयपुर, हिस्सा 1/2	414	0.3700 हैक्टेयर
कुल		कुल किता 01	0.3700 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज *4/9/23* को जारी की गयी।

[Signature]
जयपुर विकास प्राधिकरण-9
जयपुर, जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपी-जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर, जयपुर को आम सूचना का प्रकाशन कराये जाने हेतु प्रेषित है।

[Signature]
प्राधिकृत अधिकारी-9
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

[रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (8320); फैक्स- +91-141-2574555